कृषि लोक
कृषि एवं किसान के लिए ई-पत्रिका
http://www.rdagriculture.in
e-ISSN No. 2583-0937
कृषि लोक, खंड 02 (03): 110-113, 2022

उन्नत कृषि मे अवसंरचना की भूमिका

प्रवीण कुमार, रिषभ कुमार दीदावत, ऋतम्भरा, संदीप कुमार और सुनील कुमार

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली 110012

*संबंधित लेखक: parveenkumar2866@gmail.com

कृषि में बुनियादी ढांचा हर एक कदम जैसे इनपुट की आपूर्ति, फसलों की बुवाई और फसल के बाद के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नियोजित निवेश महत्वपूर्ण है और फसल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए इसके परिणामस्वरूप क्षमता निर्माण और उच्च आय सृजन भी होगा । भारत में फसल के बाद के नुकसान अपेक्षाकृत अधिक हैं क्योंकि बुनियादी कृषि बुनियादी ढांचे जैसे भंडारण घरों, पैक हाउसों, उचित आपूर्ति श्रृंखला की अनुपस्थिति आदि की कमी है।

उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने '**एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कोश**' के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना तैयार की है, जिसे 9 अगस्त 2020 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कृषि में आवश्यक पूर्व और बाद के प्रबंधन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लॉन्च किया गया | क्षेत्र एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर कोश का लक्ष्य 2025-2026 तक 3% ब्याज सबवेंशन और फसल के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण के लिए ऋण गारंटी सहायता के माध्यम से एक मध्यम / दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करना है। एग्री इंफ्रा फंड के तहत पात्र सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में शामिल हैं: (i) जैविक इनपुट उत्पादन (ii) जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयां (iii) स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा। (iv) निर्यात समूहों सहित फसलों के समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला

e-ISSN No. 2583-0937

अवसंरचना प्रदान करने के लिए पहचान की गई परियोजनाएं। (v) केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा पीपीपी के तहत सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या फसल कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाओं के लिए प्रचारित परियोजनाएं । उपरोक्त सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के अलावा किसान समुदाय जैसे पैक्स, एफपीओ, एसएचजी, जेएलजी, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, विपणन सहकारी समितियां और उनके संघ भी निम्नलिखित के निर्माण के लिए एग्री इंफ्रा फंड के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना: (i) ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं (ii) वेयरहाउस (iii) सिलोस (iv) पैक हाउस (v) परख इकाइयां (vi) सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयां (vii) कोल्ड चेन (viii) लॉजिस्टिक्स सुविधाएं (ix) प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (x) पकने वाले कक्ष । अगस्त 2020 में योजना की शुरुआत के बाद से देश भर में 8630 परियोजनाओं के लिए 6182 करोड़ रु मंजूर किए गए हैं। जिसमें से ओडिशा राज्य में 210 परियोजनाओं के लिए 77.9 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

सरकार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न योजनाओं को लागू करके कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों की सहायता कर रही है: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले से ही कृषि विपणन बुनियादी ढांचे (ए.एम.आई.) को लागू कर रही है जो एकीकृत कृषि विपणन योजना (आई.एस.ए.एम.) के तहत एक उप-योजना है। एएमआई योजना बैक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के साथ संचालित एक मांग है जिसमें पात्र लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की दर @ 25% और 33.33% है। उप-योजना के तहत यह सहायता व्यक्तिगत, किसानों/उत्पादकों के समूह, पंजीकृत किसान उपज संगठनों (एफ.पी.ओ.) आदि के लिए उपलब्ध है।

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) जिसके तहत सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% और पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से कोल्ड स्टोरेज, बागवानी उत्पादों के लिए ठंडे कमरे की सुविधा सहित कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता अनुसूचित क्षेत्रो के लाभार्थीयों के लिए उपलब्ध है। जो वाणिज्यिक उद्यमों के माध्यम से संचालित होता है जिसके लिए सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड और बैक एजेंटों के जरिए उपलब्ध कराई जाती है।

भारत सरकार ने 14 अप्रैल, 2016 को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली बनाना है। अब

e-ISSN No. 2583-0937

तक 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियों में ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कियाजा चुका है।

कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) को अप्रैल 2014 से लागू किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को मूल धार में लाकर और 'कस्टम' को बढ़ावा देकर कृषि मशीनीकरण का लाभ उन तक पहुंचना है। इस मिशन के दूसरे उदेशयों मे कस्टम हायरिंग सेंटर', हाई-टेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए हब बनाना, विभिन्न कृषि उपकरणों का वितरण, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना और पूरे देश में स्थित नामित परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन-परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना शामिल हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक (एसएलएससी) में अनुमोदित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में परियोजनाओं के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान सहायता के रूप में धनराशि जारी की जाती है। संबंधित राज्य को इस योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अधिकार प्राप्त निकाय है। सरकार 2015-16 से मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर एनई रीजन (MOVCDNER) के तहत प्रमाणित जैविक उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत जैविक उत्पादन से लेकर प्रमाणीकरण और विपणन तक जैविक किसानों को प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण आदि जैसी फसल के बाद प्रबंधन सहायता प्रदान कराई जाती है। एकीकृत प्रसंस्करण इकाई, एकीकृत पैक-हाउस, कोल्ड स्टोर जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आदि राज्यों को MOVCDNER . के तहत प्रदान किए जाते हैं| पश्चिम बंगाल के किसानों की आय पर 2014 से पहले विभिनन् कृषि परीयोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि 2014 के बाद से MIDH योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन दो बार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, बागवानी किसानों की औसत आय में वृद्धि हुई है। बेहतर बागवानी प्रक्रियाओ और आय में वृद्धि ने किसानों को विस्तार के लिए और निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए इस योजना ने देश के विभिन्न हिस्सों में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा किया है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना (एआईएफ) का उद्देश्य किसानों सहित कई लाभार्थियों को फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण के लिए ऋण पर 3% ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी सहायता के माध्यम से 2025-2026 तक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करना है।

योजनाओं का निधि आवंटन विवरण नीचे दिया गया है:

एएमआई: आईएसएएम की एएमआई उप-योजना मांग संचालित है इसलिए कोई राज्य/जिला-वार आवंटन नहीं किया गया है। हालांकि पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के दौरान, कुल 185 स्वयं के वित्त पोषित राज्य एजेंसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई और 36.03 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

MIDH : MIDH के अंतर्गत आवंटित निधि निम्नानुसार है:

वर्ष	कोश वितरित (करोड़ मे)
2016-17	1660.00
2017-18	2198.63
2018-19	2108.07
2019-20	1551.55
2020-21	1511.92

एसएमएएम: एसएमएएम के तहत जारी की गई वर्षवार निधियां इस तालिका मे दर्शाई गई हैं।

वर्षवार जारी निधि (करोड़ मे)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
	181.35	151.74	363.63	791.04	1126.77	992.19	1026.63	244.96 (आज तक)

e-ISSN No. 2583-0937

e-NAM: ई-नाम योजना के तहत सरकार गुणवत्ता परखित उपकरणों और सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग और खाद इकाई आदि जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित संबंधित हार्डवेयर के लिए 75.00 लाख रुपये प्रति मंडी की मुफ्त सॉफ्टवेयर और सहायता प्रदान कर रही है।

RKVY: 2015-16 से आरकेवीवाई का फंडिंग पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 100:0 से 60:40 जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 में बदल गया। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह केंद्रीय हिस्से के रूप में 100% रहता है । 2021-22 के दौरान सभी राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 1310.38 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

कृषि अवसंरचना कोश - हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और कृषि-प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों में औपचारिक ऋण देने के लिए अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दी है। कोविड -19 संकट के जवाब में 20 लाख करोड़ के कृषि प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईएसए), 1955 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है जिसमे संसोधित बिन्दु इस प्रकार हैं।

उद्देश्य: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य फसलोत्तर प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करना। केंद्र / राज्य द्वारा प्रायोजित फसल एकत्रीकरण के लिए पीपीपी परियोजनाओं के अलावा कोल्ड स्टोर और चेन, वेयरहाउसिंग, साइलो, परख, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयों, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ई-मार्केटिंग पॉइंट और राइपिंग चैंबर्स की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत वितिय सहायता वर्ष 2020 से 2029 तक क लिए कि गई है।

इस अधिनियम कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं -

बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूह, किसानों, संयुक्त देयता समूहों, बहुउद्देशीय ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं द्वारा प्रायोजित सहकारी समितियां, कृषि-उद्यमी और केंद्रीय/राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायो के लिए चालू वर्ष में 10,000 करोड़ और अगले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक में 30,000 करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ शुरू होने वाले चार वर्षों में ऋण वितरित किए जाएंगे। ऋण चुकौती के लिए अधिस्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्षों के अधीन भिन्न हो सकता है। इस अधिनियम मे सभी ऋणों पर रु. 2 करोड़ तक ब्याज सबवेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । यह सबवेंशन अधिकतम सात साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।

CGTMSE योजना: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना के तहत पात्र उधारकर्ताओं के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए एक क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा।

किसान उत्पादक संगठन: एफपीओ के मामले में एफपीओ प्रोत्साहन योजना के तहत बनाई गई सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ उठाया जा सकता है।

कोष प्रबंधन: फंड का प्रबंधन और निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। यह सभी योग्य संस्थाओं को फंड के तहत ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा ।वास्तविक समय की निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा।